

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली

पत्र सं०/मान्यता/ 10543-45

/2020-21

दिनांक- 20-3-21

प्रबन्धक

न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, लालगंज,
रायबरेली।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 30.9.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, लालगंज, रायबरेली को शैक्षिक सत्र 2021-22 (एक वर्ष) की अवधि के लिए कक्षा- 01 से कक्षा- 05 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:-

18. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा-08 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
19. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
20. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
21. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
22. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
23. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
 - (1)- प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2)- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4)- प्राथमिक शिक्षा पूरे करने वाले प्रत्येक बाल को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5)- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (6)- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन या यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - (7)- अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (8)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
24. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।


PRINCIPAL
New Standard Public School
Lalganj-Raebareli


MANAGER
New Standard Public School
Lalganj-Raebareli

25. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्यानानुसार अन्तिम निरीक्षण के समय की रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 87877 वर्ग फीट
- कुल निर्मित क्षेत्र 2529 वर्ग फीट
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल 85348 वर्ग फीट
- कक्षाओं की संख्या 06
- प्रधानाध्यापक-सहकार्यालय-सह भण्डारगाह के लिये कक्ष 02
- बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय 06 (अलग-अलग)
- पेयजल सुविधा है।
- मिड डे मील पकाने के लिये रसोई है।
- बाधारहित पहुँच है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता है।
26. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
27. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
28. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
29. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
30. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली को भेजी जानी चाहिये।
31. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 440 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
32. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
33. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाय।
34. संलग्नक उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(आनन्द प्रकाश शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रायबरेली

पृ0सं0 / मान्यता / / 2020-21 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद रायबरेली।


PRINCIPAL
New Standard Public School
Lalganj-Raebareli

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रायबरेली
MANAGER
New Standard Public School
Lalganj-Raebareli

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली

पत्र सं०/मान्यता/10913-15

प्रबन्धक,

/2020-21

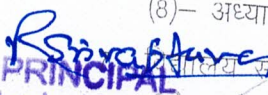
दिनांक-24-3-21

न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, लालगंज,
रायबरेली।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके तारीख 30.9.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, लालगंज, रायबरेली को शैक्षिक सत्र 2021-22 तक (एक वर्ष) की अवधि के लिए कक्षा-06 से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

- उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:-
1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा-08 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
 - (1)- प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2)- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (3)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4)- प्राथमिक शिक्षा पूरे करने वाले प्रत्येक बाल को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5)- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (6)- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन या यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - (7)- अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (8)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।


PRINCIPAL

New Standard Public School
Lalganj-Raebareilly


MANAGER

New Standard Public School
Lalganj-Raebareilly

8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्यानानुसार अन्तिम निरीक्षण के समय की रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं:
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 87877 वर्ग फीट
 कुल निर्मित क्षेत्र 2529 वर्ग फीट
 क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल 85348 वर्ग फीट
 कक्षाओं की संख्या 06
 प्रधानाध्यापक-सहकार्यालय-सह भण्डारगाह के लिये कक्ष 02
 बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय 02 (अलग-अलग)
 पेयजल सुविधा है।
 मिड डे मील पकाने के लिये रसोई है।
 बाधारहित पहुँच है।
 अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता है।
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 447 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्नक उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

(आनन्द प्रकाश शर्मा)
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 रायबरेली

पृ0सं0 / मान्यता / / 2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद रायबरेली।


PRINCIPAL
 New Standard Public School
 Laiganj-Raebareli


MANAGER
 New Standard Public School
 Laiganj-Raebareli
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
 रायबरेली